


10/11/24

पत्रावली पेश की। पीठको सार्व
अन्य सच्य कार्य में जाता है। अर्थात्
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/11/24
को देखा गया।

11/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकील डिजीटर उषा/वहमीकर
भांगानेर धीपालना रिपोर्ट प्राप्त हुई, निम्न व
डिजी की पालना राजस्व रिपोर्ट में ही भुकी है,
ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली की कार्यवाही प्राप्त
की जाती है। पत्रावली फॉर्मल्युमर हीडर पर
नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील देखिये
दफ्तर है।

उपखण्ड कारी
जयपुर जिला, (भांगानेर)



(आदेश 21 के का नियम 11)

उपखण्ड कारी जयपुर जिला स्थान भांगानेर
दिनांक 11/12/24 डिजीटर, इसके द्वारा नीचे दी गई डिजी के निष्पादन के लिए

2	3	4	5	6	7	8	9	10
पक्षकारों के नाम	डिजी की तारीख	क्या डिजी को कोई अपील की गई है	यदि कोई संवाद या समायोजन किया गया है तो वह संवाद या समायोजन	यदि पहले कोई आवेदन किया गया है तो उसकी तारीख और परिणाम	डिजी की रकम उस पर शोध ब्याज के सहित या एग्रेड द्वारा अनुदत्त अन्य अनुरोध प्रति डिजी की विशिष्टियों के सहित	यदि खर्चों के लिए कोई रकम अधिनियमित की गई है तो वह रकम	किसके विरुद्ध निष्पादन किया जाय	वह ढंग जिससे न्याय सहायता अपेक्षित
1. उषा/वहमीकर उषा वहीकर (भांगानेर) 2. वहीकर उषा वहीकर (भांगानेर) 3. वहीकर उषा वहीकर (भांगानेर) 4. वहीकर उषा वहीकर (भांगानेर)	09-05-2024	नहीं		नहीं		नहीं		1. दायाल उषा वहीकर 2. राजेश कुमार उषा वहीकर

घोषणा करता हूँ कि इसमें जो भी लिखा गया है
मैं सच एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

6-24

सत्यापन

हस्ताक्षर श्री राजेश कुमार उषा वहीकर

11/12/24

